न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री झालमसिंह पुत्र श्री जामतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
2. श्री जीवाराम पुत्र वनाजी, जाति- देवासी, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
3. श्री तुलसीराम पुत्र तोलाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
4. श्री सोमाराम पुत्र टेकाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
5. श्री नरसाराम पुत्र चमनाजी, जाति- माली, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
6. श्री बद्रीनारायण पुत्र कसतुरजी, जाति- प्रजापत, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, रामपुरा जरिये सरपंच, तहसील व जिला- सिरोही
2. श्री अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह राठौड, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 5/2012

"निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 14 मार्च, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी श्री अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह राठौड, निवासी- रामपुरा के पक्ष में क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 23.12.2011 को अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रामपुरा के सरपंच उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम सुथार एवं अधिवक्ता श्री धन्नाराम देवासी का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। उसके बाद, यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय से प्रकरण स्थानान्तरित

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिस पर इस न्यायालय में यह निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान दिनांक 23.12.2011 के पश्चात् अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रामपुरा की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से दिनांक 29.1.2014 से अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया ने जरिये वकालतना उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) दोनों पक्षों की बहस दिनांक 12.3.2018 को सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रामपुरा में होली दहन चौक की भूमि स्थित है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि जब से रामपुरा गांव बसा है तब से होली दहन व सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। उक्त भूमि सार्वजनिक चौक व होली दहन स्थल की भूमि होने से ग्राम पंचायत केवल भूमि की ट्रस्टी मात्र है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक उपयोग की भूमि व होली दहन स्थल की भूमि का किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने या पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी संख्या-2 ने तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा से मेल मिलाप कर होली दहन व सार्वजनिक उपयोग की भूमि का कुटरचना कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को नीलामी के माध्यम से जारी होना दर्शाया है, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, रामपुरा में प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड यथा पट्टे की पंचायत प्रति, बैठक रजिस्टर, नीलामी कार्यवाही संबंधी पत्रावली इत्यादि नही है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा उक्त सार्वजनिक चौक व होली दहन स्थल की भूमि को कभी नीलामी के माध्यम से विक्रय नही किया गया है एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 ने उक्त भूमि को आम नीलामी में खरीद किया है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 में भूखण्ड की नीलामी दिनांक 14.9.1978 को होना दर्शाया है व विक्रय की पुष्टि ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 4(19) दिनांक 28.8.1978 के द्वारा होना दर्शाया है। भूखण्ड की नीलामी के पहले विक्रय की पुष्टि दिनांक 28.8.1978 को होना कैसे संभव है? इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, रामपुरा के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर कुटरचना कर फर्जी दस्तावेज पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 का तैयार किया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई संकल्प/प्रस्ताव पारित नही किया गया है एवं न ही ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। अप्रार्थी संख्या-2 का प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि के मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा आदिनांक तक नही रहा है व मौके पर आज भी प्रश्नगत भूमि खुली पडी हुई होकर सार्वजनिक उपयोग व हर वर्ष होली दहन स्थल के रुप में उपयोग में आ रही है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या-2 व उसके पुत्र द्वारा होली दहन के दिन दिनांक 28.2.2010 को ग्रामवासियों से होली दहन की बात को लेकर झगडा करने व विवाद करने पर अप्रार्थी संख्या-2 व अप्रार्थी संख्या-2 के पुत्र के विरुद्ध थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही द्वारा धारा 107 व 151

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गई थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी रहा कि अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत कुटरचित पट्टे की आड़ में ग्राम के सार्वजनिक चौक व होली दहन स्थल की भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त DNJ(Raj.) 2000 Page 438 चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि कपट, दुर्व्यपदेशन, कपट सन्धि, लोक हित के विरुद्ध अथवा बिना अधिकारिता के आदेश या शून्य आदेशों के मामलों में पुनरीक्षण की शक्तियों का कभी भी प्रयोग किया गया सकता है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त Western Law Cases(Raj.) UC 2009 Page 759 बाबुसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि नियमों का अतिक्रमण करके पट्टा निर्गत किया गया है तो खारिज किया जा सकता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2010(3) DNJ(Raj.) Page 1147 प्रागचन्द बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि पट्टा जारी करने की जानकारी 21 वर्ष बाद होने पर निगरानी प्रस्तुत हुई जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विलम्ब होना नही माना है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि इस प्रकरण में ग्राम के सार्वजनिक चौक व होली दहन स्थल उपयोग की भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा ग्राम पंचायत, रामपुरा के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर कुटरचना कर पट्टा प्राप्त किया है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है तथा न ही ग्राम पंचायत को सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार है, इसलिये प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह के हक में जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 में अंकित भूखण्ड़ क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट जिसकी चतुर्दशी पूर्व में पंच मालियों का प्लोट, पश्चिम में भूतेश्वर जी मंदिर जाने का रास्ता, उत्तर में माली भूराराम का प्लोट व दक्षिण में खालसा जमीन है, यह भूमि कभी भी होलीका दहन व सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही रही है एवं न ही इस भूमि का उपयोग होली दहन या अन्य सार्वजनिक कार्य के लिये किया गया है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जिसका ग्राम पंचायत के तत्कालीन पदाधिकारियों व ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करके दिनांक 14.9.1978 को आम नीलामी के माध्यम से अप्रार्थी अभयसिंह को राशि रुपये 320/- में विक्रय करके अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी- रामपुरा के पक्ष में पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर वर्ष 1979 से लगातार अप्रार्थी अभयसिंह का शांतिपूर्वक बतौर स्वामी कब्जा चला आ रहा है एवं भूखण्ड़ के मौके पर प्रार्थी के पत्थर पडे हुये है तथा बबूल के बडे बडे पेड खडे है। अप्रार्थी अभयसिंह के हक में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जारी पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नाप की भूमि होली दहन व सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है तथा न

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ही ग्राम पंचायत द्वारा होली दहन व सार्वजनिक चौक भूमि का विक्रय किया गया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई अवैधता व अनियमितता नही की गई है। यद्यपि प्रक्रिया का पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है एवं प्रक्रिया के पालन में यदि कोई अनियमितता रही भी है तो इस आधार पर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रार्थीगण के कथनों के आधार पर ही प्रश्नगत पट्टे की भूमि को होली दहन स्थल व सार्वजनिक भूमि होना नही माना जा सकता है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-2 ने नीलामी में भूखण्ड उच्चतम बोली लगाकर क्रय किया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा दिनांक 14.9.1978 को अप्रार्थी संख्या-2 के अलावा श्री भूबाराम माली पुत्र रगाजी माली, निवासी- रामपुरा, श्री भूराराम पुत्र चेनाजी माली, निवासी- रामपुरा, दलाराम पुत्र चेनाजी माली, निवासी- रामपुरा, समरथाराम पुत्र चेनाजी माली, निवासी- रामपुरा, श्री भलाराम पुत्र चमनाजी कुम्हार, निवासी- रामपुरा, श्री शंकरलाल पुत्र चमनाजी कुम्हार, निवासी- रामपुरा व अन्य कई व्यक्तियों को भी आम नीलामी के माध्यम से अप्रार्थी संख्या-2 के भूखण्ड के आस-पास स्थित भूखण्डों का विक्रय करके पट्टे जारी किये गये है, जिसमें श्री भूराराम पुत्र चेनाजी माली, निवासी- रामपुरा को जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 03.10.1978 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में अप्रार्थी अभयसिंह का प्लोट होना दर्शाया है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, रामपुरा से आम नीलामी में भूखण्ड क्रय किया है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा किन नियमों की पालना नही की है, यह प्रार्थीगण की निगरानी में स्पष्ट नही किया गया है। इस प्रकार, प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व संदिग्ध है और विधि में परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड को सुरक्षित रखने एवं संधारित करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है जो अप्रार्थी संख्या-2 के अधिकार क्षेत्र का विषय नही है। यदि ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है तो इसके लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त DNJ(Raj.) 1997 Page 751 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि विधि में नीलामी व पट्टा जारी किये जाने के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने का प्रावधान किया गया है जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलों में निगरानी के जरिये हस्ताक्षेप नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के आदेश व प्रश्नगत पट्टे के विरुद्ध धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंचायत समिति में अपील नही की है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिये है वे अपील में ही उठाये जा सकते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। निगरानी की व्याप्ति समिति है व निगरानी केवल क्षेत्राधिकार की त्रुटि के संबंध में ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थीगण को निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये उठाई आपत्ति की सुनवाई कराने का अधिकार नही है, इस कारण से प्रार्थी की निगरानी

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त Western Law Cases(Raj.) UC 1999 Page 264 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-2 को भूखण्ड का विक्रय दिनांक 14.9.1978 को किया जाकर विक्रय की राशि पंचायत में जमा होने के बाद पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को जारी किया गया है तब से अप्रार्थी संख्या-2 मौके पर काबिज है, इस कारण से पट्टाधारक के कब्जे में इतने वर्षो के उपरान्त व्यवधान नही डाला जा सकता है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त S.A.R.(SC) 1997 Page 783 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि जहां संबंधित अधिनियम/नियमों में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु मियाद निर्धारित नही है, ऐसे मामलों में निगरानी यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्याायलय ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है। सामान्य अवधि अधिनियम के तहत भी निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत पट्टे व नीलामी कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु 33 वर्षो बाद यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं इन 33 वर्षो के विलम्ब के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई युक्तियुक्त तर्कसंगत स्पष्टीकरण नही दिया है। इस प्रकार, प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अत: प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी श्री अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह राठौड़, निवासी- रामपुरा को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का नीलामी में दिनांक 14.9.78 को विक्रय किया जाना दर्शाते हुए पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को जारी किया जाना अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त पट्टे में भूखण्ड की नीलामी दिनांक 14.9.1978 को की जाना दर्शाया है, जबकि विक्रय की पुष्टि ग्राम पंचायत, रामपुरा के प्रस्ताव संख्या 4(19) दिनांक 28.8.1978 के द्वारा की जाना अंकित किया हुआ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत, रामपुरा से प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा व ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, रामपुरा ने ग्राम पंचायत, रामपुरा के पत्र दिनांक 02.12.2004 के द्वारा यह अवगत कराया कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित कोई भी रेकर्ड पंचायत में चार्ज में प्राप्त नही हुआ है एवं ग्राम पंचायत, रामपुरा की बैठक दिनांक 20.11.2014 के प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार ग्राम पंचायत, रामपुरा के पूर्व सरपंच श्री तुलसीराम चौहान के कार्यकाल का सम्पूर्ण रिकार्ड जिसमें उक्त रेकर्ड भी सम्मिलित है ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा से सूचना के अधिकार के तहत उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 9

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही (राज.)

दिनांक 25.1.1979 से संबंधित रेकर्ड की सूचना चाहे जाने पर सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा ने पत्र दिनांक 11.9.2015 के द्वारा अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया को यह सूचित किया है कि अभयसिंह के हक में जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 से संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नही है।

अप्रार्थी पक्ष का यह कथन सही है कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड को सुरक्षित रुप से रखने व संधारित करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच का है, लेकिन इस प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड यथा पट्टे की ग्राम पंचायत कार्यालय प्रति, प्रस्ताव रजिस्टर, नीलामी कार्यवाही से संबंधित पत्रावली व पंचायत में राशि जमा होने की रसीदे आदि ग्राम पंचायत, रामपुरा में उपलब्ध नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 की वैधता संदिग्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 में विवादित भूखण्ड को नीलामी में दिनांक 14.9.1978 को विक्रय किया जाना अंकित किया है, जबकि विक्रय की पुष्टि ग्राम पंचायत, रामपुरा के प्रस्ताव संख्या 4(19) दिनांक 28.8.1978 के द्वारा की जाना अंकित किया हुआ है। इस प्रकार, भूखण्ड की नीलामी से पहले ही भूखण्ड के विक्रय की पुष्टि होना भी प्रश्नगत पट्टे की वैधता संदिग्ध होना प्रकट करता है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि दिनांक 28.2.2010 को ग्राम रामपुरा में स्कूल के पास आखरिया चौक पर होली दहन को लेकर अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा व राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अभयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा द्वारा ग्रामवासियों से झगडा करने हेतु उतारु होने, धमकिया देने व शांति भंग करने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह, जाति- राजूपत, निवासी- रामपुरा व राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री अभयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा को धारा 151 Cr.P.C. के तहत गिरफतार कर अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह, जाति- राजूपत, निवासी- रामपुरा व राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री अभयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा के विरुद्ध धारा 107, 116(3), 151 Cr.P.C. के अर्न्तगत इस्तगासा जरिये पत्र क्रमांक/PSS/10/16 दिनांक 01.3.2010 के द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 25/2010 अर्न्तगत धारा धारा 107, 116(3), 151 Cr.P.C. में पारित आदेश दिनांक 01.3.2010 के अनुसार अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- रामपुरा व राजेन्द्रसिंह पुत्र अभयसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा को छः माह की समयावधि के लिये परिशांति बनाये रखने हेतु जमानत व मुचलके पर पाबन्द किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् में भी होली दहन का दृश्य दर्शित हो रहा है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा, श्री पूनाराम पुत्र करताजी, जाति- माली, निवासी- रामपुरा, श्री हंसाराम पुत्र जैसाजी, जाति- हीरागर, निवासी- रामपुरा व श्री लसाराम पुत्र मगाजी, जाति- देवासी, निवासी- रामपुरा के हल्फनामें भी इस आशय के प्रस्तुत किये गये है कि गांव की होलीका दहन की भूमि भूतेश्वर महादेव रोड के पूर्व दिशा में आई है,

.....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जो गांव बसा तब से है। उक्त चौक सार्वजनिक है, जिसमें गांव के समस्त कार्यक्रम होते है, उक्त भूमि की सार्वजनिक नीलामी कभी भी नही हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह द्वारा ग्राम पंचायत, रामपुरा से प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 की भूमि पर चार दिवारी निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण स्वीकृति चाही जाने पर ग्राम पंचायत, रामपुरा की ग्रामसभा दिनांक 12.10.2011 में प्रस्ताव संख्या 12 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी- रामपुरा द्वारा जिस स्थान पर चार दिवारी निर्माण स्वीकृति चाही है वह गांव के लोगों के सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो होली दहन के उपयोग में हर वर्ष काम आती है जिससे उक्त भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चार दिवारी निर्माण बाबत दिया जाना उचित नही है। इस प्रकार, प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों व हल्फनामों से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 से संबंधित भूमि होली दहन स्थल व सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।

जहां तक, यह निगरानी प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने विधिक दृष्टान्त DNJ(Raj.) 2000 Page 438 चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि कपट, दर्व्यपदेशन, कपट संधि, लोक हित के विरुद्ध अथवा बिना अधिकारिता के आदेश या शून्य के आदेशों के मामलें में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में भी प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, रामपुरा में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है जिससे प्रश्नगत पट्टे की वैधता संदिग्ध प्रतीत होती है। साथ ही, प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों व हल्फनामों के अनुसार यह भी प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि ग्राम रामपुरा के होली दहन स्थल व सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।

अत: प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी अभयसिंह पुत्र श्री नवलसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.1.1979 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।

14.03.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही